रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 26, 2007/वैशाख 6, 1929
No. 484] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 26, 2007/VAISAKHA 6, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

(पी एंड एम अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2007

का.आ. 662(अ).—राजमार्ग प्रशासन नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 50 की उप-धारा (2) के खंड (ध) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) की अपेक्षाओं के अनुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उक्त तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं, तीस दिन की अवधि के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, अवर सचिव (योजना और मानिटरी), कमरा नं. 239, परिवहन भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे;

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजमार्ग प्रशासन (संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राजमार्ग प्रशासन नियम, 2003 के नियम 21 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन करने वाला व्यक्ति,-

(क) यान की मुक्ति के लिए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, कर रसीद या ऐसा कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य पेश करेगा, जो ऐसे यान का उसका स्वामित्व साबित करता हो;

(ख) पशु की मुक्ति के लिए, उसकी विशिष्टियों के ब्यौरे देगा या ऐसे पशु का अपना स्वामित्व साबित करने के लिए राजमार्ग प्रशासन के समाधानप्रद रूप में कोई अन्य मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश करेगा ।"।

[फा. सं. एन.एच.-11014/6/05-पी एंड एम]

रेनूका जैन गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

(P & M SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2007

S.O. 662(E).—The following draft of certain rules further to amend the Highways Administration Rules, 2003, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Clause (s) of Sub-section (2) of Section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), is hereby published in the Official Gazette as required by Sub-section (1) of Section 50 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public ;

Objections or suggestions if any, may be addressed to the Under Secretary (Planning and Monitoring), Room No. 239, Transport Bhawan, New Delhi-110001;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the draft rules before the expiry of the said period shall be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These Rules may be called the Highway Administration (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Highways Administration Rules, 2003, in rule 21, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The person making an application under sub-rule (1) shall—

(a) for release of the vehicle, produce certificate of registration, tax receipt or any other documentary evidence which proves his ownership of such vehicle;

(b) for release of the animal, give details of its description or produce any other oral or documentary evidence for proving his ownership of such animal, to the satisfaction of the Highway Administration.".

[F. No. NH-11014/6/05-P&M]

RENUKA JAIN GUPTA, Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.